रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 744] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/ AGRAHAYANA 11, 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 922(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र तथा क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र (लेखाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, फील्ड-सह-प्रयोगशाला परिचर और बहुकार्य कर्मचारीवृन्द, 'समूह ग' पद) भर्ती नियम, 2014 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र तथा क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र (लेखाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, फील्ड-सह-प्रयोगशाला परिचर और बहुकार्य कर्मचारीवृन्द, 'समूह ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाए ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र तथा क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र (लेखाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, फील्ड-सह-प्रयोगशाला परिचर और बहुकार्य कर्मचारीवृन्द, 'समूह ग' पद) भर्ती नियम, 2014 में, अनुसूची में, फील्ड-सह-प्रयोगशाला परिचर के पद से संबंधित क्र.सं. 4 के स्तंभ (6) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:

"18 से 25 वर्षों के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।"

[फा.सं. 6-3/2013-आईएनएम]

भैरव दत्त, अवर सचिव (आईएनएम)

टिप्पणी:- मूल नियम सा.का.नि. 240 तारीख 14 नवंबर, 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2015

G.S.R. 922(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Centre of Organic Farming and Regional Centres of Organic Farming, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, (Group 'C' posts of Accountant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Field-cum-Lab Attendant and Multi Tasking Staff), Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called National Centre of Organic Farming and Regional Centres of Organic Farming, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, (Group 'C' posts of Accountant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Field-cum-Lab Attendant and Multi Tasking Staff), Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Centre of Organic Farming and Regional Centres of Organic Farming, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, (Group 'C' posts of Accountant, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Field-cum-Lab Attendant and Multi Tasking Staff), Recruitment Rules, 2014, in the schedule, against serial number 4 relating to the post of Field-cum-Lab Attendant, for the existing entry in column (6), the following entry shall be substituted, namely:-

"Between 18-25 years.
(Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission."

[F. No. 6-3/2013-INM]
BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 240, dated the 14th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.